भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1363

06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एएमआर के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत

†1363. श्रीमती साजदा अहमदः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एंटीबायोटिक के दुरुपयोग और कमजोर प्रवर्तन के कारण भारत रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) का वैश्विक केन्द्र बनता जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान एएमआर संक्रमणों और संबंधित मौतों के संबंध में आंकड़े क्या हैं और राष्ट्रीय एएमआर निगरानी नेटवर्क की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान अनुसूची एच/एच1 के उल्लंघन के लिए कितने निरीक्षण किए गए हैं, अभियोजन और लगाई गई शास्तियों की संख्या क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास देश में विनियमन को सख्त करने, चिकित्सा निर्देश की लेखापरीक्षा का अधिदेश देने और जिला स्तरीय निगरानी का विस्तार करने के लिए कोई समयबद्ध योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): देश में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) की बढ़ती चुनौती से सरकार अवगत है। इस जन स्वास्थ्य समस्या के समाधान हेतु सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कई कार्यनीतिक और समन्वित उपाय किए हैं। इस संबंध में उठाए गए कदमों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): ऐसा कोई डेटा केंद्रीय रूप से संरक्षित नहीं किया जाता है। हालांकि, राष्ट्रीय एएमआर रोकथाम कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय एएमआर निगरानी नेटवर्क (एनएआरएसनेट) की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत देश के

चिन्हित मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण किया गया है ताकि नैदानिक संक्रमण पैदा करने वाले 9 प्राथमिकता वाले रोगजनकों के गुणवत्तापूर्ण एएमआर डेटा सृजित किए जा सकें।

(ग): अनुसूची एच की दवाओं सहित अन्य दवाओं की बिक्री और वितरण को औषधि नियमावली,1945 के तहत राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसके अलावा, पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के बिना अनुसूची एच की दवाओं की बिक्री एक दंडनीय अपराध है और राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) इसके लिए कार्रवाई करने हेतु सशक्त हैं।

इसके अलावा, राज्य औषधि नियंत्रकों/अन्य हितधारकों को पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों के पर्चे के बिना खुदरा बिक्री के संबंध में चिंताओं से अवगत कराया गया है। औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम और नियमों की आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य औषधि नियंत्रकों और अन्य हितधारकों को विभिन्न नोटिस/एडवाइजरी/पत्र जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर, सरकार ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के माध्यम से कई महत्वपूर्ण नियामक उपाय किए हैं। इन उपायों का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ): राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत, रोगाणुरोधी प्रतिरोध 2.0 (2025-29) पर सरकार ने एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के अनुरूप मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, खाद्य और पर्यावरण क्षेत्रों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) निगरानी क्षमता और प्रयोगशाला नेटवर्क के संवर्धन और विस्तार को प्राथमिकता दी है। इसमें प्रयोगशाला अवसंरचना को मजबूत करना, डेटा रिपोर्टिंग और व्यापक स्तर पर निदान सुविधा केंद्रों से डेटा का एकीकरण शामिल है, ताकि एएमआर डेटा की प्रतिनिधित्व क्षमता और समयबद्धता में सुधार हो सके, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध निगरानी प्रणाली के उद्देश्यों के अनुरूप है।

अनुलग्नक-I

उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित एएमआर को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण इस प्रकार है;

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एंटीबायोटिक दवाओं सहित दवाओं के तर्कसंगत उपयोग के लिए मानक उपचार दिशा-निर्देश (एसटीजी) जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश एनसीडीसी की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

2. स्वास्थ्य परिचर्या से संबंधित संक्रमणों की रोकथाम और नियंत्रण तथा स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों में एंटीबायोटिक दवाओं के अनावश्यक उपयोग को कम करने के लिए संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण (आईपीसी) संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

3. एंटीबायोटिक दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और एंटीबायोटिक प्रतिरोध (एएमआर) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने ऑडियो-विजुअल सामग्री, सोशल मीडिया संदेश और आउटडोर मीडिया अभियानों सहित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री विकसित की है। ये सामग्रियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की गई हैं।

4. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने 21 विशिष्ट स्तर के अस्पतालों को शामिल करते हुए एक एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोधक क्षमता (एएमआर) निगरानी और अनुसंधान नेटवर्क स्थापित किया है। इन अस्पतालों में एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप (एएमएस) कार्यक्रम लागू किए गए हैं और प्रत्येक अस्पताल ने अपनी एंटीबायोटिक नीति विकसित की है। आईसीएमआर अवसंरचना, नैदानिक और व्यावहारिक एएमआर अनुसंधान को शामिल करने वाली कई अनुसंधान परियोजनाओं का भी समर्थन कर रहा है।

5. आईसीएमआर ने अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम विकसित करने में अस्पतालों की सहायता के लिए 2016 में अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण पर दिशा-निर्देश जारी किए, जो https://www.icmr.nic.in/sites/default/files/guidelines/Hospital_Infection_control_guidelines.pdf. पर उपलब्ध हैं।

अनुलग्नक-II

उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा उठाए गए प्रमुख नियामक उपायों का विवरण इस प्रकार हैं::

1. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ओषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के तहत दवाओं की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता को विनियमित करता है। एंटीबायोटिक्स अनुसूची एच और अनुसूची एच1 के अंतर्गत आते हैं और इन्हें केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही खुदरा बेचा जा सकता है।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जेनेरिक दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करने की सलाह दी गई है। प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) प्रमाणन के तहत आवश्यक शर्तों में से एक है।
3. सीडीएससीओ ने राज्य औषधि नियामकों और हितधारकों को नियामक प्रावधानों के सख्त अनुपालन के लिए और एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न नोटिस, एडवाइजरी और संचार जारी किए हैं।
4. ओषधि और सौंदर्य प्रसाधन नियम, 1945 में संशोधन (01.03.2014 से प्रभावी) अनुसूची एच1 को शामिल करते हुए, निर्दिष्ट एंटीबायोटिक्स, टीबी रोधी और आदत बनाने वाली दवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें सख्त लेबलिंग, नुस्खे और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताएं हैं।
5. अनुसूची एच1 की दवाओं के लिए अलग-अलग बिक्री रजिस्टर का अनिवार्य रखरखाव, जिसमें डॉक्टर और मरीज का विवरण शामिल हो, निरीक्षण के लिए तीन वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
6. नियम 97 में संशोधन के तहत खाद्य उत्पादन करने वाले पशुओं के उपचार के लिए बनाई गई दवाओं के लेबल पर निकासी अवधि प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।
7. पशुपालन विभाग और डीसीजी (आई) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग और पशु आहार में एंटीबायोटिक दवाओं और हार्मोन के उपयोग को बंद करने के संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है।
8. खाद्य उत्पादन करने वाले पशुओं, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और पशु आहार पूरकों के लिए कोलिस्टिन और इसके फॉर्मूलेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध (19.07.2019 से प्रभावी)।
9. क्लोरामफेनिकोल और नाइट्रोफ्यूरान तथा उनके फॉर्मूलेशन के आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण पर किसी भी खाद्य उत्पादन पशुपालन प्रणाली में उपयोग के लिए प्रतिबंध (12.03.2025 से प्रभावी)।
